हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/11/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थीगण सं. 17, 27 द्वारा जवाब प्रा. पत्र T.I का पेश किया। शामिल पत्रावली किया। वास्ते जवाब अप्रार्थी सं 1, 2 एवं तलबी अप्रार्थीगण सं. 29, 41, 45, 51 ज़रिये Reg Ad सम्मन से सही पते पर की जाकर पत्रावली दिनांक 22/12/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

24/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थी 29, 41, 45, 57 की रजिस्टर्ड सम्मन तामील दिनांक 10/12/2025 को की गई रसीद पेश हुई। शामिल पत्रावली की गई इन्तजार तामील दिनांक 24/12/2025 को पेश हो

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

24/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बहस प्रार्थना पत्र की गई। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 26/12/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

26/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। अप्रार्थी सं. 29, 41, 45, 51 की तलबी रजि. सम्मन की जा चुकी है। प्रति. 1, 2 का जवाब एवं 8, 9, 10, 12, 34, 35 का जवाब पेश हो चुका है

उप खण्ड अधिकारी

बहस सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि
भूमि खाता सं. नया 178 पुराना 172
वाकेग्राम हरसौरा में प्रार्थीगण का 1/30
हिस्सा खाता सं. नया 169 पुराना 165
में सम्मिलित हिस्सा 1/8 तथा खाता सं.
नया 181 पुराना 175 में प्रार्थीगण का
हिस्सा (23/592+23/592) खाता सं.
नया 177 पुराना 171 हिस्सा 1/44 खाता
सं 180 में 1/10 हिस्सा है खाता सं. नया
170 पुराना 164 प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा
2/3 जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है
राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण
व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी भूमि है
बुवाई कटाई व रकबे को लेकर विवाद
उत्पन्न होता रहता है इसलिए विधिवत
तकासमा किया जाना आवश्यक है अप्रार्थीगण
को तकासमा कराने को कहा तो इंकार हो
गये। जबरिया कब्जा काश्त से बेदखल
करने पर आमादा हो रहे हैं। इसलिए
प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबंद किया जावे। सुविधा का संतुलन
अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष
में है।

प्रकरण में अप्रार्थी सं. 8,9,10,12
34,35 का जवाब पेश हुआ। जिसमें
कथन है कि मौके पर काबिज लॅटवारे
अनुसार मौके पर काबिज काश्त है
तकासमा किया जाता है तो आपत्ति नहीं है

अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
CrII

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

....बनाम.......................................

मुकदमा.......................................नं०.......................................सन्.......................................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधि अनुसार सहखातेदारान को पाबंद नहीं किया जा सकता है अतः खारिज करवाई जावे। इस प्रकार प्रति० सं० 1 व 2 को जवाब में अंकन किया गया है। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित तीन बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है। ① प्रथम दृष्टया मामला ② अपूर्णीय क्षति ③ सुविधा का संतुलन। ① प्रथम दृष्टया मामला :- मूल वाद बकास्मा का है। दौरानवाद वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बदलने की संभावना रहती है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। ② अपूर्णीय क्षति व ③ सुविधा का संतुलन	

सुविधा की दृष्टि से उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तय होने से उक्त दोनों बिन्दुओं को भी प्रार्थी के पक्ष में तय किये जाते हैं। विवेचन के आधार पर प्रकरण में दिनांक 7/4/25 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा मूलवाद के निर्णय होने तक कन्फर्म की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के शामिल हो। 26/12/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

भारत एक रुपया ONE RUPEE INDIA

न्यायालय उपजिल

1. कमलेश पुत्र रामनिवास
2. मूली पत्नि स्व. रामनिव
   समस्त जाति माली नि
   बांदीकुई जिला दौसा,

1. रामकरण पुत्र रामनि
2. बाबूलाल पुत्र रामनि
3. आनन्दी पत्नि प्रसाद
4. कल्लू पुत्र प्रभू
5. कैलाशी पुत्री प्रभू
6. केसर देवी पत्नि ल
7. कानाराम पुत्र लक्ष्म
8. कोकली देवी पुत्री
9. गंगादेवी पुत्री राम
10. गुरूसहाय पुत्र रा
11. चमेली देवी पत्नि

भू